रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 8, 2011/भाद्र 17, 1933

No. 497] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2011/BHADRA 17, 1933

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2011

सा.का.नि. 665(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की दिनांक 16 मई, 2011 की सा.का.नि. 387(अ), अधिसूचना संख्या 254, में अधिसूचना के पृष्ठ-9 पर नियम 15 के उप-नियम (4) को नीचे दिए गए अनुसार पढ़ा जाए ।

"(4) यदि समुचित सरकार उचित समझे तो इस नियम के उप-नियम (3) के अधीन जारी हेतुक दर्शित करने वाली सूचना और अभिकथित अपराधी से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति, यदि कोई हो, तो, को संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को भेज सकेगी और उस पर उसकी सिफारिशें अभिप्राप्त कर सकेगी तथा अभिकथित अपराधी के स्पष्टीकरण और सांख्यिकी अधिकारी की सिफारिश, यदि कोई हो, तो, पर विचार करने के बाद अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति दे सकेगी ।"

2. राजपत्र अधिसूचना की अन्य विषय सामग्री अपरिवर्तित रहेगी ।

[पृष्ठांकन सं. एम-15011/1/2007-प्रशा. III]

अरविंन्द कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 8th September, 2011

G.S.R. 665(E).—In the Notification of the Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation, number 254 dated 16th May, 2011 bearing G.S.R. 387(E) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), the sub-rule (4) of rule 15 at page-20 of the notification shall be read as follows.

"(4) The appropriate Government may, if it considers necessary, send a copy of the show-cause notice issued under sub-rule (3) of this rule and the explanation, if any, received from the alleged offender to the concerned statistics officer and obtain his recommendation on it, and after considering the explanation of the alleged offender and recommendation of statistics officer, if any, sanction the institution of prosecution."

2. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

[Endt. No. M-15011/1/2007-Admn. III]

ARVIND KUMAR, Jt. Secy.

3391 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.